(24)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1408–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–4–2016 पारित द्वारा अधीक्षक, भू–अभिलेख, होशंगाबाद सीमांकन प्रकरण कमांक 1/अभ्यावेदन/2015–16.

1– गुरूकृपा दाल मिल द्वारा
प्रोप. रामचन्द्र नवलानी आ. सीरूमल नवलानी
2– अशोक पोहा मिल
द्वारा प्रोप. अशोक कुमार आ. सेवाराम बागवानी
3– सरिता आईस्कीम द्वारा
प्रोप. महेश कुमार अहूजा आ. अर्जुनदास अहूजा
4– मॉ रेवा भोग आटा द्वारा
प्रोप. प्रदीप सेनी आ. स्व. बहादुरसिंह सेनी
5– नर्मदा एग्रीकल्चर इंड. द्वारा भागीदार
प्रोप. अतुल गौर आ. स्व. नरेश कुमार गौर
निवासीगण किशनुपरा औद्योगिक क्षेत्र होशंगबाद
तहसील व जिला होशंगाबाद .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– कृषि उपज मंडी, होशंगबाद द्वारा
सचिव कृषि उपज मंडी, होशंगाबाद
2– म.प्र. शासन
3– महाप्रबंध जिला लघु उद्योग केंद्र,
कार्यालय लघु उद्योग केन्द्र, होशंगाबाद .....अनावेदकगण

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मेघदीप गौर, अभिभाषक, अनावेदक क. 1
श्री श्रीमती नीना पाण्डे, अभिभाषक, अनावेदक क. 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/1/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अधीक्षक, भू–अभिलेख, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–74–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा कलेक्टर, होशंगबाद के समक्ष प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । उक्त आवेदन पत्र के आधार पर डिप्टी कलेक्टर, होशंगबाद द्वारा दिनांक 12–4–2016 को सीमांकन दल द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया जाकर दिनांक 27–4–2016 को सीमांकन प्रतिवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया । सीमांकन दल के इसी प्रतिवेदन के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन दल द्वारा बिना सीमांकन नियमों का पालन किये प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया है, जो कि अवैधानिक कार्यवाही है । यह भी कहा गया कि सीमांकन कार्यवाही में आवेदकगण को बिना सूचना दिये उनकी अनुपस्थिति में प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है । तर्क में यह भी कहा गया कि सीमांकन दल द्वारा किये गये सीमांकन से आवेदकगण की भूमि प्रभावित हो रही है, इसलिए वे प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार हैं, और उन्हें सूचना दी जाकर विधिवत सीमांकन किया जाना न्यायिक दृष्टि से आवश्यक है । उनके द्वारा सीमांकन निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

3/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा गठित सीमांकन दल द्वारा विधिवत प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण की जानकारी में प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किये जाने का तथ्य था, परन्तु वे उपस्थित नहीं हुए हैं । उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का किया गया सीमांकन स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा भी यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का विधिवत सीमांकन किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 3 की ओर से भी सीमांकन को विधिवत बतलाया गया है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में मुख्य विवाद दो शासकीय संस्थाओं कृषि उपज मण्डी एवं जिला उद्योग केन्द्र के बीच में है । प्रश्नाधीन भूमियों का कई बार सीमांकन किये जाने के पश्चात भी विवाद का निराकरण नहीं हुआ है, अतः इस प्रकरण में यह आवश्यक है कि प्रकरण कलेक्टर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में निपुण अधिकारियों/कर्मचारियों का पैनल बनाकर सभी परिवेदित पक्षों की भूमियों का एकसाथ सीमांकन करते हुए दो माह में विवाद का निराकरण करें ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अंतर्गत अधीक्षक, भू–अभिलेख, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–74–2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण कलेक्टर को उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर